

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.
मि0न0 -23/2022(2022/00057)

अनवान : --

1. रणवीर पुत्र श्री भूराराम जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. भूराराम पुत्र श्री लालचंद जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।
2. राजबीर पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।
3. महावीर पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।
4. कौशल्या पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।
5. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा भटटूमण्डी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।



प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शंकुतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण व वकील प्रतिवादी सरबजीत कौर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 एम आर एन के खाता सं0 62/58 के मु0न0 72 के किला न0 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, मु0न0 81 के किला न0 11/1, 12/1, 13/1, 19 ता 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 25/3 मु0न0 82 के किला न0 15/1, 16, 25 मु0न0 89 के किला न0 5, मु0न0 90 के किला न0 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5 की कुल 6.2730है0 जिसमें नहरी 6.0830है0 गै0मु0 खाला 0.100है0 गै0मु0 रास्ता 0.090है0 में प्रतिवादी सं0 1 भूराराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, में से प्रतिवादी सं0 1 भूराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी रणवीर, प्रतिवादी सं0 2 राजबीर व प्रतिवादी सं0 3 महावीर को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/03/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शंकुतला चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा जिला हनुमानगढ़